पेटेंट का फैलता जाल

यह सवाल बार-बार उठता है कि बौद्धिक संपत्ति अधिकार की आड़ में किस-किस चीज़ का पेटेंट कराया जा सकता है। एक समय पर यह सवाल उठा था कि क्या किसी जीव पर स्वामित्व को पेटेंट सुरक्षा मिल सकती है। आजकल यूएस सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या शरीर क्रिया सम्बंधी ज्ञान को भी पेटेंट के दायरे में लाया जा सकता है।

मामला यह है कि कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर की प्रोमेथियस लेबोरेटरीज़ के पास जठरांत्र रोग (पेट व आंत के रोगों) के इलाज के दिशानिर्देशों का पेटेंट है। हाल ही में प्रोमेथियस लेबोरेटरीज़ ने एक अस्पताल मेयो क्लीनिक पर मुकदमा दायर किया है कि क्लीनिक अपने मरीज़ों के उपचार का जो तरीका इस्तेमाल करता है वह उसके पेटेंट का उल्लंघन करता है।

प्रोमेथियस लेबोरेटरीज़ के पेटेंटशुदा तरीके में खास बात यह है कि इसमें बताया गया है कि मरीज़ के शरीर में उपस्थित चयापचय पदार्थों की मात्रा को देखकर डॉक्टर यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी मरीज़ को दवा की कितनी खुराक दी जाए।

यह तो सही हो सकता है कि प्रोमेथियस लेबोरेटरीज़ ने इस बात पर काफी अनुसंधान करके खोजा हो कि मरीज़ के शरीर के चयापचय से उत्पन्न पदार्थ उसके रोग के बारे में क्या जानकारी देते हैं। मगर यह दावा तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया कि शरीर की इन क्रियाओं को पेटेंट कर लिया जाएगा और डॉक्टर अपने उपचार कार्य में यदि शरीर की इन कुदरती क्रियाओं पर ध्यान देंगे तो वह उस पेटेंट का उल्लंघन माना जाएगा।

इस मामले में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन समेत तमाम चिकित्सा संगठन मेयो क्लीनिक के समर्थन में खड़े हो गए हैं। इन संगठनों ने एक बयान में कहा है कि पेटेंट धारक ने जब यह दावा किया होगा, उससे काफी पहले से डॉक्टर शारीरिक प्रक्रियाओं से बनने वाले पदार्थों और उपचार की प्रभाविता के परस्पर सम्बंधों का आकलन करते रहे हैं। संगठनों का कहना है कि ऐसे दावों का एक ही मतलब होगा कि मरीज़ों को मिलने वाली देखभाल व उपचार महंगे हो जाएंगे। ***(स्रोत फीचर्स)***